Most Urgent/Out Today
Gazette Notification.
Extraordinary Part-IV.

Government of National Capital Territory of Delhi, (Department of Law, Justice & Legislative Affairs),

5-Sham Nath Marg. Delhi-110054.

No.F. 14/13/98-LAS/LA/ 427

Dated 18th December, 1998

To

The Addl. Secretary(GAD/Co-ord.), Govt. of N.C.T. of Delhi, 5-Sham Nath Marg. Delhi-110054.

Sub: - Gazette Notification of the Indraprastha Vishwavidalaya (Amendment) Act, 1998 (Delhi Act No. 12 of 1998).

Sir.

I am directed to forward herewith two copies of the above notification (English & Hindi version) for publishing in the Delhi Gazette (Part-IV) Extra-ordinary today it self. It is requested that at least 10 copies of the same may be sent to this department as soon as it is received from the press.

Encls: -As above.

Yours Faithfully,

(R.T.L.D'SOUZA), Under Secretary(L.A.).

Sh. Ramda.

No. F. 14/13/98-LAS/LA/ 4/27

Dated: 18th December, 1998.

Copy forwarded for information & necessary action to thes-

1. Secretary to L.G., Rajniwas, Delhi.

2. Director of Higher Education, Old Sectt., Delhi.

3. Secretary to the Education Minister, Old Sectt., Delhi.

4. Secretary to the Chief Minister, Old Sectt., Delhi.

5. P.S. to Chief Secretary, Govt. of Delhi, 5-Sham Nath Marg, Delhi.

6. Secretary (LA), Legislative Assembly Delhi, Old Sectt., Delhi.

355/TO/98 22/XM/98

(R.T.L. D' SOUZA),

Under Secretary(L.A.).

(To Be Published in Part 4 of Delhi Gazette Extra ordinary)

Government of National Capital Territory of Delhi,

(Department of Law, Justice & Legislative Affairs)

5-Sham Nath Marg, Delhi-110054.

No.F. 14/13/98-LAS/LA/ 487

Dated: 18 Dec., 1998.

The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi, on the 17.12.98 hereby published for general informations-

The Indraprastha Vishwavidyalaya(Amendment) Act, 1998.

(Delhi Act No. 12 of 1998).

As passed by the Legislative Assembly of the Maticnal Capital Territory of Delhi.

AM

ACT

To amend the Indraprastha Vishwavidyalaya Act, 1998(Delhi Act 9 of 1998).

Be it enacted by the Legislative Assembly of the Mational Capital Territory of Delhi in the forty-ninth year of the Republic of India as follows :-

hort title 1.	(1)	This Act may be called the Indraprastha	1
and commencement.		Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 1998. 72/C	
	(2)	It shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.	
Amendment 2. of section 2.		In the Indraprastha Vishwavidyalaya Act, 1998 (Delhi Act 9 of 1998) (hereinafter referred	5
•		to as "the principal Act"), in section 2, for clause (w), the following shall be substituted namely:-	
		"(w) "Principal" means the head of a college and includes, where there is no Principal, the person who is for the time being duly appointed to act as the Principal, and, in the absence of the Principal or the acting Principal, as the case may be, a Vice Principal duly appointed as such,",	10
Amendment 3. of section 3		In the principal Act, in section 3, in sub-section (1), the words "become to" appearing after the word "hereafter" and before the words" be appointed" shall be omitted.	20
Amendment 4. of section 4.		In the principal Act, in section 4, for subsection (1), the following shall be substituted, namely:-	
		"(1) Save as otherwise provided by or under this Act, the limits of the area within which the University shall exercise its powers shall be those of the National Capital Region as defined in the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985)."	25
Amendment 5.		In the principal Act, in section 5:-	30
of section 5.	(i) after entry at serial number (21), the following shall be inserted, namely:-	
		"(21A) to establish and maintain colleges, institutions and such other centres of education, research, training and extension as deemed appropriate by the University,";	35
	(i	i) for entry at serial number (38), the following shall be substituted, namely:-	

	"(38) to assess the needs in terms of subjects, fields of specialization, levels of education and training of technical manpower, both on short and long term basis, and to initiate necessary programmes to meet these needs,";	5
Amendment 6. of Section 7.	In the principal Act, in section 7, for subsection (2), the following shall be substituted, namely:-	
	"(2) any dispute arising between the University and any other university established by law in the National Capital Region as defined in the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), may be referred to	10
	the Visitor whose decision shall be final and binding on the parties."	15
Amendment 7. of section 31.	be substituted, namely:-	
(1) The University shall enter into a written contract of service with every employee of the University appointed on regular basis or otherwise and the terms and conditions of the contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act, the statutes	20
	and the ordiances. (2)A copy of the contract referred to in subsection (1) shall be lodged with the University section (2)	23
	and a copy thereof shall also be furnished to the employee concerned."	
of new	8. In the principal Act, for Section 33, the following shall be substituted, namely :-	30
section for section 33.	"33. The University shall constitute for the benefit of its employees such provident fund or pension fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed."	35
	(R.T.L.DUSOUZA), ***** Under Secretary(L.A.	.).
	Under Becretary.	. 8

Govt. of M.C.T. of Delhi.

दिल्ली राजपत्र असाधारणा भाग-4 में प्रकाशानार्थ के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, क्रिविध, न्याय एवं विधायी कार्य विभागक,

5-शामनाथ भार्ग, दिल्ली-110054-संख्या:का. 14/13/98-एल. ए. एस. /एल. ए. / ५८)

दिनांक 18 दिसम्बर, 1998.

उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 17.12.9 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा दारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारणा के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है।

इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 1998 हृदिल्ली अधिनियम संख्याः 12 , 1998ह ह्राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा दारा यथा पारित हू

अधिनियम

इन्द्रपुरुथ विद्वविद्यालय संशाधिन अधिनियम, 1998 में संशाधिन के लिए एक अधिनियम ।

इते भारतीय गणातंत्र के 49 वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाये :-

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ।	1. (1)	इन अधिनियम को इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जाए।
	(2)	यह राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
अनुभाग 2 का संशोधन।	2.	इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 के दिल्ली अधिनियम संख्या 9) (इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित) में, अनुमाग 2 में, घारा 5
		(फ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :
	·	"(फ) 'प्रधानाचार्य' का अर्थ है किसी महाविद्यालय का प्रमुख और इसमें सम्मिलित है, प्रधानाचार्य के न होने की स्थित में उसके स्थान पर कार्य करने के लिए कुछ समय के लिए विधिवत् नियुवत व्यक्ति, तथा प्रधानाचार्य या कार्यवाहक प्रधानाचार्य की अनुपरिथित में, जैसी भी स्थिति हो, इस रूप में विधिवत् नियुवत कोई. 10 उप-प्रधानाचार्य;'।
अनुभाग 3 का संशोधन।	3.	मूल अधिनियम में, अनुभाग 3 में, उप—अनुभाग (1) में, 'बिकम टू' शब्दों को जो 'हीयरआफ्टर' शब्द के परचात् और 'बी अपॉइन्टेड' शब्दों के पहले आते हैं, छोड़ दिया जाये।
		(टीप-अधिनियम के हिन्दी अनुवाद में इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है) 15
अनुभाग 4 का संशोधन।	4.	मूल अधिनियम में, अनुभाग 4 में, उप—अनुभाग (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :
		'(1) इस अधिनियम के द्वारा या अन्तर्गत अन्यथा प्रविधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र की सीमायें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नेशनल कैपिटल रीजन), जैसा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) में निरुपित 20 हैं, की होंगी जिसमें वह अप्रनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।'
अनुभाग 5 का संशोधन।	5.	मूल अधिनियम में, अनुभाग 5 में — (i) क्रम संख्या (21) पर प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित को निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :— (21 क) महाविद्यालयों, संस्थाओं तथा शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार के ऐसे अन्य केन्द्रों की स्थापना तथा पोषण करना, जैसे विश्वविद्यालय द्वारा उचित रामझे जाये;'।
		(ii) क्रम संख्या (38) पर प्रविष्टि के स्थान पर निम्नितिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :- '(38) अध्ययन विषयों, विशिष्टीकरण क्षेत्रों, शिक्षा के स्तर, तकनीकी 30 अमशिवत-प्रशिक्षण के लिए अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक आधार पर आवश्यकताओं

		का आंकलन करना तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यक्रम प्रारम्भ करना,'।	2/6
अनुभाग 7 का संस्रोधन।	6.	मूल अधिनियम में, अनुभाग 7 में उप-अनुभाग (2) के रथान पर निम्नलिखित को प्रतिरथापित किया जायेगा, अर्थात् :	
	'(2)	विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नेशनल कैपिटल रीजन) में विधि द्वारा रथापित किसी अन्य विश्वविद्यालय के बीच उत्पन्न होने वाले किसी विवाद को कुलाध्यक्ष को सौंपा जायेगा जिनका निर्णय अंतिम और प्रधों पर बंधनकारी होगा।'	5
अनुभाग 31 का ·संशोधन1	7.	.मूल अधिनियम में, अनुमाग 31 में, उप—अनुभाग (1) और (2) क़े रथान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :	
	'(1)	े नियमित आधार पर अथवा अन्यथा नियुवत विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी के साथ विश्वविद्यालय रोवा का लिखित अनुयन्ध करेगा तथा इस अनुवन्ध की शर्ते इस अिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के प्राववानों से असंगत नहीं होंगी।	10
	(2)	उप-अनुभाग (1) में रांदर्भित अनुबन्ध की एक प्रति की विश्वविद्यालय के रिकार्ड में रखा जायेगा और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को भी उपलब्ध कराई जायेगी।	15
अनुभाग 33 के प्रशास पर सबे अनुभाग का प्रतिस्थापन।	8.	मूल अधिनियम में, अनुमाम 33 के रथान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :— '33. विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लामार्थ ऐसी शिति से और ऐसी शर्ती के अधीन, जैसी विद्यत की जायें, ऐसी भविष्य विधि अथवा पंचन निधि का मठन अधीन, जैसी विद्यत की जायें, ऐसी भविष्य विधि अथवा पंचन निधि का मठन करेगा या ऐसी वीमा योजना की व्यवस्था क्रेगा जेसी वह उचित समजे।'	1
		rem Dongs	

कूआर. ही. एंन डि"तूजा कू, जबर सचिवकू विधायी कार्यकू, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लो सरकार।